(2013) 17 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 955

अरशद हुसैन

बनाम

राजस्थान राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 889/2009)

17 जुलाई 2013

(माननीय न्यायमूर्तिगण पी. सदाशिवम और जे. चेलमेश्वर)

दंड संहिता 1860 – धारा 302 – हत्या – 3 आरोपियों के विरूद्ध आरोप – विचारण न्यायालय द्वारा सभी 3 आरोपियों को दोषी ठहराया गया – उच्च न्यायालय ने केवल ए–1 आरोपी को दोषी ठहराया – ए–2 और ए–3 को अन्यत्र उपस्थिति के आधार पर बरी कर दिया – ए–1 द्वारा अपील

निर्धारित किया गया: अन्यत्र उपस्थिति के सम्बध में सबूतों और उच्च न्यायालय के तर्क को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन ने घटना की उत्पत्ति और जिस तरीके से घटना घटी उसे दबा दिया है – इसलिए अभियोजन की पूरी कहानी खारिज होने योग्य है – अभियोजन मामले में अन्य कमजोरियां भी हैं – इसलिए ए–1 संदेह का लाभ पाने का हकदार है और बरी कर दिया गया है।

अपीलकर्ता–अभियुक्त (ए–1) पर ए–2 व ए–3 के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व सपठित धारा 34 के तहत मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जब शिकायतकर्ता पक्ष स्कूटर पर आ रहा था तो ए–2 और ए–3 ने आकर स्कूटर रोके और जब वे अपने स्कूटर से उतरे तो ए–2 और ए 3 ने गोली चलाने के लिए ए–1 को बोला। ए–1 ने 3 राउंड फायरिंग की, जिससे मृतक की मौत हो गई। विचारण न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उच्च न्यायालय ने ए–1 की दोषसिद्धि की पुष्टि की लेकिन ए–2 और ए–3 को घटना के समय अन्य जगह होने की दलील पर विश्वास करते हुए बरी कर दिया।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए निर्धारित किया: एफआईआर की अंतर्वस्तु, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान और साथ ही उच्च न्यायालय के तर्क से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घटना वैसी नहीं हुई थी जैसा अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति और जिस प्रकार घटना घटी उसके ढंग को दबा दिया था। इस प्रकार पीडब्लू 4, 5, 6 और 7 द्वारा विशिष्ट दावे के अभाव में अपीलकर्ता की भूमिका और उच्च न्यायालय द्वारा ए–2 और ए–3 द्वारा प्रस्तुत दावे को स्वीकार करते हुए निष्कर्ष के आलोक में, संपूर्ण अभियोजन मामले पर विश्वास नहीं हो सका। (पैरा 14 और 15) (963–बी–डी)

2. 12 बोर बंदूक में प्रयुक्त प्रत्येक कारतूस में 180 छर्रे होते हैं। इस प्रकार 540 छर्रे, यानी 3 राउंड फायर करने के बाद, यह संभव नहीं है कि किसी भी गवाह या अपीलकर्ता के भाइयों को एक भी गोली न लगी हो, हालांकि वे 7 फीट के दायरे में थे। अभियोजन पक्ष द्वारा इस पहलू को स्पष्ट नहीं किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, घटना स्थल से कोई स्कूटर बरामद नहीं हुआ। इसी तरह अपीलकर्ता–अभियुक्त की हिरासत से बंदूक की बरामदगी से संबंधित कहानी भी संदिग्ध है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बंदूक कैसे और कब अपीलकर्ता ने बिस्तर के नीचे रखी और उसके बाद उसके ही घर से बरामद हुई। अपीलकर्ता की सूचना पर बंदूक की बरामदगी की कहानी प्रथम दृष्टया मनगढ़ंत और अविश्वसनीय है। (पैरा 16 और 17) (963–ई, 964–बी–डी)

3. जब घटना की उत्पत्ति और तरीका संदिग्ध हो तो आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहा जिनमें अपीलकर्ता द्वारा मृतक पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया था, पूरी कहानी को खारिज कर दिया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है और तदनुसार उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है। (पैरा 18 और 19) (964–ई, जी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 889/2019

डीबी आपराधिक अपील संख्या 586/2004 में **राजस्थान** उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2008 द्वारा

अपीलकर्ता की ओर से सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, प्रतिभा जैन।

प्रतिवादी की ओर से डॉ. मनीष सिंघवी, एएजी, प्रगति नीखरा।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधीश **पी. सदाशिवम** द्वारा सुनाया गया।

1– यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 586/2004 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2008 के खिलाफ दायर की गई है जिसे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इसमें अपीलकर्ता के संबंध में खारिज कर दिया था जबकि सत्र परीक्षण संख्या 96/2001 में सत्र न्यायालय उदयपुर के आदेश दिनांक 18.05.2004 के तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी पढ़ा जाये) की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शेष दो अपीलकर्ताओं पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया।

2. संक्षिप्त तथ्य

(क) अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18.12.2000 को रात लगभग 10:30 बजे निजाम (शिकायतकर्ता), इकबाल, जमील और मोइन, मुल्ला तलाई, जो इकबाल का ससुराल है, में भोजन करने के बाद दो स्कूटरों पर खानजी पीर, उदयपुर वापस लौट रहे थे। तभी जब वे चारों अशफाक के घर के पास पहुंचे तो अचानक अशफाक के बेटे, शहजाद और मुजफ्फर उनकी स्कूटर के सामने आ गये और उन्हें रोक लिया। उन्हें देखते ही इकबाल स्कूटर से उतरे और पूछा कि क्या बात है? तुरंत शहजाद और मुजफ्फर चिल्लाए 'अरशद फायर करो', इतना सुनते ही अरशद जो अपने घर के बरामदे में बंदूक लेकर खड़ा था, ने तीन गोलियां चला दीं जो इकबाल के सीने और कंधे पर लगीं, जिससे वह गिर गया। इकबाल के करीब खड़े निजाम, जमील और मोइन भी मौके से भाग गए।

(ख) इसके बाद निजाम (शिकायतकर्ता), जमील और मोइन, इकबाल को राजा उर्फ सिराज (पीडब्लू–7) की कार में अस्पताल ले गए और सूरजपोल, उदयपुर थाना में तैनात उप निरीक्षक नजीर खान (पीडब्लू–19) को एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) सौंपी जिसके आधार पर अरशद हुसैन (ए–1), मुजफ्फर (ए–2) और शहजाद (ए–3) के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 30 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) 523/2000 (प्रदर्श पी–52) दर्ज की गई। लिखित शिकायत में यह भी कहा गया था कि अशफाक और इकबाल के बीच पुरानी दुश्मनी थी और उक्त घटना उसे मारने के लिए एक पूर्व निर्धारित योजना थी और यह भी कि उसने भागते समय अरशद के हाथ में बंदूक देखी थी।

(ग) आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला सत्र न्यायालय, उदयपुर को सौंप दिया गया जिसे सत्र परीक्षण संख्या 96/2001 के रूप में क्रमांकित किया गया।

(घ) सत्र न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 18.05.2004 के तहत अरशद हुसैन (ए–1), मुजफ्फर (ए–2) और शहजाद (ए–3) को आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 10,000/– रूपया प्रत्येक पर जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई साथ ही जुर्माने की राशि देने में चूक होने पर एक वर्ष की अतिरिक्त आरआई की सजा सुनाई।

(ड़) दोषसिद्धि और सजा के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता (ए–1) और अन्य दोषी अभियुक्तों (ए–2 और ए–3) ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 586 सन 2004 के तहत अपील दायर की। दिनांक 30.04.2008 के निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने मुजफ्फर (ए–2) और शहजाद (ए–3) को सभी आरोपों से बरी करते हुए अरशद हुसैन (ए–1) की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

(च) उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता–अभियुक्त ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की।

3– अपीलकर्ता–अभियुक्त के विद्वान वकील श्री सुशील कुमार जैन और प्रतिवादी–राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी को सुना गया।

4– अपीलकर्ता–अभियुक्त के विद्वान वकील श्री सुशील कुमार जैन ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि मृतक एक हिस्ट्रीशीटर, कट्टर अपराधी था, राजस्थान और गुजरात राज्यों में 17 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल था और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) (केंद्रीय अधिनियम 1980 की अधिनियम संख्या 65) के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि मृतक और उसका गिरोह 50 लाख रुपये की मांग करके अपीलकर्ता से पैसे ऐंठना चाहता था और जब अपीलकर्ता इसके लिए सहमत नहीं हुआ, तो मृतक और उसके गिरोह ने उसके भाई और 4–5 साल की बेटी पर हमला किया। उन्होंने आगे बताया कि उनके गिरोह और अपीलकर्ता के साथ–साथ उनके परिवार के सदस्यों के बीच उक्त दुश्मनी की पृष्ठभूमि को देखते हुए भले ही अभियोजन का मामला स्वीकार्य हो, अपीलकर्ता निजी बचाव के अधिकार का लाभ उठाने का हकदार है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सह–अभियुक्तों, मुजफ्फर (ए–2) और शहजाद (ए–3) को उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए बरी कर दिया है कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, अभियोजन की पूरी कहानी पर विश्वास नहीं किया जा

सकता। उनके अनुसार, उन व्यक्तियों, अर्थात् मुजफ्फर (ए–2) और शहजाद (ए–3) को बरी किए जाने के मद्देनजर, अभियोजन मामले की उत्पत्ति पूरी तरह से गलत साबित हुई है।

5. दूसरी ओर प्रतिवादी–राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने कहा कि यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता की विशिष्ट भूमिका के संदर्भ में राज्य ने भारी सबूतों के आलोक में ए–2 और ए–3 को बरी करने के खिलाफ कोई अपील नहीं की है, उच्च न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करना उचित है, इसलिए, अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

6. हमने अभियोजन प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और सभी प्रासंगिक सामग्रियों/साक्ष्यों का अध्ययन किया है।

बहस:

7. पीडब्लू–4 द्वारा तैयार किया हुआ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का जिक्र करना अभियोजन प्रस्तुतियों को समझने के लिए यह उपयोगी है जो निम्न प्रकार है:–

"महोदय,

आज दिनांक 18.12.2000 को रात्रि 10.30 बजे इकबाल भाई, जमील भाई और मोईन भाई इकबाल भाई के ससुराल मुल्ला तलाई स्थित बाबू भाई के घर से खाना खाकर दो स्कूटरों पर खानजी पीर लौट रहे थे। **तभी** रात करीब 10.45 बजे हम चारों किशनपोल स्थित अशफाक के घर के पास पहुंचे जहां पर एक घाटी है। मेरा स्कूटर आगे था जिसे मैं चला रहा था मेरे पीछे इकबाल भाई बैठे थे और एक और स्कूटर जिसे मोईन चला रहा था और जमील उनके पीछे बैठा था हम साथ–साथ चल रहे थे चूंकि अशफाक के घर के पास घाटी है इसलिए स्कूटर धीमी गति से थे तभी शहजाद और उसका भाई मुजफ्फर अचानक मेरे स्कूटर के सामने आ गए और हमें रोक दिया और तभी इकबाल भाई नीचे उतरे और पूछा कि क्या बात है, तब तक शहजाद और मुजफ्फर दोनों ने अरशद गोली मारो चिल्लाया, तभी अरशद जो पहले से ही बरामदे की दीवार के पास हाथ में बंदूक लेकर खड़ा था, ने बंदूक से तीन गोलियां चला दीं। मैं डर कर बैठ गया और गोली इकबाल भाई के सीने और बाजू में लगी और वह वहीं गिर पड़े. उस समय जमील और मोईन भी पास ही खड़े थे और तीनों मौके से भाग गये। इस घटना के समय सड़क की सभी स्ट्रीट लाइटें और अशफाक के घर के बरामदे में भी लाइट जल रही थी। अशफाक और

इकबाल भाई के बीच पुरानी दुश्मनी थी और उन्होंने पूर्व योजना के तहत यह हत्या की है। भागते समय मैंने अरशद के हाथ में बंदूक देखी। कृपया कार्यवाही करें। इसके बाद मैं, जीमल और मोईन ने इकबाल को अपने दोस्त राजा उर्फ सिराज की कार में डाला और अस्पताल ले आए जहां उसकी मौत हो गई।

8. अगर हम निजाम (पीडब्लू–4) द्वारा दी गई एफआईआर की सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करें, तो यह स्पष्ट है कि घटना 18.12.2000 को रात 10:30 बजे हुई थी जब इकबाल (मृत होने के बाद से) निजाम (पीडब्लू–4), जमील (पीडब्लू–6) और मोइनुद्दीन (पीडब्लू–5) दो स्कूटरों पर खानजी पीर से लौट रहे थे। जब चारों अशफाक के घर के पास पहुंचे, तो शहजाद (ए–3) और उसका भाई मुजफ्फर (ए–2) स्कूटर की ओर आए और उन्हें रोका। यह देखकर इकबाल नीचे उतरे और मामले के बारे में पूछा, तब तक शहजाद और मुजफ्फर दोनों चिल्लाये अरशद गोली मारो। यह सुनकर अपीलकर्ता अरशद (ए–1) जो बंदूक के साथ अपने घर के बरामदे में खड़ा था, ने उन पर गोलियां चला दीं। आगे कहा गया है कि अपीलकर्ता जिसके हाथ में बंदूक थी उसने तीन गोलियाँ चलाईं और बचने की फिराक में निजाम (पीडब्लू –4) बैठ गया और गोली इकबाल के सीने और कंधे में लगी जिसके परिणामस्वरूप वह तुरंत गिर गया। बाद में पीडब्लू 5 और 6 घटनास्थल से भाग गए। यह भी बताया गया है कि उस समय स्ट्रीट लाइट के साथ–साथ अशफाक के घर के बरामदे की लाइट भी जल रही थी। ऐसा भी देखा गया था कि अशफाक और इकबाल के बीच पुरानी दुश्मनी थी यह मृतक और अभियोजन पक्ष को देखकर स्पष्ट हो गया और ए–3 और ए–4 के चिल्लाने पर अपीलकर्ता (ए–1) जो बरामदे में खड़ा था, ने तीन गोलियां चलाईं जो मृतक को लगीं जिसके कारण उन्हें घातक चोटें आईं।

9. यह विवाद में नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य विशेष रूप से पीडब्लू 4, 5, 6, 7 और 19 और ए–2 और ए–3 द्वारा की गई बचाव की पैरवी, का विश्लेषण करने के बाद, अन्यत्र उपस्थिति की दलील को स्वीकार कर लिया और स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। हम पहले ही कह चुके हैं कि राज्य ने बरी करने के उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके चुनौती नहीं दी है और यह अंतिम हो गया है। यह स्पष्ट है कि उक्त व्यक्तियों, अर्थात् ए–2 और ए–3 के बरी होने से, अभियोजन मामले की उत्पत्ति पूरी तरह से गलत हो गई है। आइये नीचे इस पहलू का विस्तार से विश्लेषण करें।

10. यद्यपि श्री सुशील कुमार जैन ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया है कि मृतक एक हिस्ट्रीशीटर था और उसने कई मौकों पर अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों को धमकी दी थी और मृतक के आपराधिक इतिहास को

देखते हुए नजी बचाव का लाभ उठाने के लिए कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं था, यद्यपि जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया। वैसे ही इस न्यायालय ने दिनांक 29.09.2008 को केवल अपराध की प्रकृति के आधार पर नोटिस जारी किया गया, मात्र दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर विचार करते हुए पक्षों को पूर्ण न्याय देने के लिए हमने मामले की गहराई से जांच की है।

11. हमने पहले ही एफआईआर की अंतर्वस्तु और ए–2 और ए–3 को बरी करने का आदेश देने वाले उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को नोट कर लिया है। अभियोजन पक्ष द्वारा जिस पहले गवाह पर भरोसा किया गया वह निजाम (पीडब्लू–4) है जो शिकायतकर्ता है। पीडब्लू–4 के साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता है कि यह तत्कालीन एफआईआर की अंतर्वस्तु के अनुरूप है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने वही दोहराया जो उन्होंने एफआईआर में कहा है। एफआईआर में उनके द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण बयान इस प्रकार है:

इकबाल भाई ने आरोपी से पूछा कि क्या मामला है तब तक अरशद ने गोली चला दी। अरशद, जो पहले से ही अपने घर की चहारदीवारी के अंदर बंदूक लेकर खड़ा था, ने इकबाल पर तीन फायर किए। एक गोली दाहिने कंधे और दाहिने हाथ में लगी।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि शहजाद और मुजफ्फर के निर्देश पर ही अरशद (यहाँ अपीलकर्ता) ने इकबाल पर गोली चलाई।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से जिनका परीक्षण किया गया वे पीडब्लू 5, 6 और 7 थे। उन सभी ने पीडब्लू–4 के जैसे ही समानताएं बतायीं। दूसरे शब्दों में, तीनों गवाहों ने एक बार फिर इसी तरह के दावे को दोहराया जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में है जिसमे शहजाद और मुजफ्फर की मौजूदगी, स्कूटर का रोका जाना और अरशद को इकबाल पर गोली चलाने के लिए चिल्लाये जाना शामिल है।

13. उच्च न्यायालय ने पाया कि मुजफ्फर और शहजाद घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। इस तरह के निष्कर्ष का आधार यह था कि घटना के समय पर मुजफ्फर (ए–2) को बॉम्बे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसका भाई शहजाद अस्पताल में उसकी देखभाल कर रहा था। राज्य द्वारा चुनौती के अभाव में यह स्पष्ट है कि दोनों सह–अभियुक्त घटना के स्थान पर मौजूद नहीं थे और इसलिए अभियोजन मामले के तीन महत्वपूर्ण पहलू स्थापित नहीं किए गए हैं, अर्थात (ए) मृतक की टोली को शहजाद और मुजफ्फर द्वारा रोका गया

(बी) मृतक और उसके साथियों को शहजाद और मुजफ्फर ने उनके घर के गेट के पास रोका था और (सी) शहजाद और मुजफ्फर ने अरशद को मृतक पर गोली चलाने के लिए कहा था।

14. उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ–साथ एफआईआर की अंतर्वस्तु, उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के बयानों के अवलोकन एवं उच्च न्यायालय के तर्क से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घटना वैसी नहीं हुई थी जैसा अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति और उसके घटित होने के तरीके को छुपाया है।

15. दूसरी ओर, ऐसी परिस्थितियों में, पीडब्लू 4, 5, 6 और 7 द्वारा विशिष्ट दावा के अभाव में अपीलकर्ता की भूमिका और उच्च न्यायालय के ए–2 और ए–3 द्वारा प्रस्तुत अन्यत्र उपस्थिति को स्वीकार करते हुए निष्कर्ष के आलोक में पूरे अभियोजन मामले पर विश्वास नहीं किया जा सका।

16. ध्यान देने योग्य एक अन्य पहलू अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तरीके से स्वचालित 12 बोर बंदूक का उपयोग है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 बोर बंदूक में इस्तेमाल में किए गए प्रत्येक कारतूस में 180 छर्रे हैं। उपरोक्त के संबंध में निजाम (पीडब्लू–4) जिस पर कथित तौर पर उस स्कूटर को चलाने का आरोप है जिस पर इकबाल बैठा था, ने निम्नानुसार कहा है

> "जो स्कूटर मोईन चला रहा था वह मेरे स्कूटर के ठीक आगे दाहिनी ओर रुका। केवल मुजफ्फर और शहजाद ने ही हमारा स्कूटर रोका, किसी दूसरे ने स्कूटर नहीं रोका। इकबाल स्कूटर के बाईं ओर से उतरा। हम, छह व्यक्ति, घटनास्थल पर करीब सात फीट के दायरे में खड़े थे।
>
> पुनः कहा गया है कि:–
>
> यह सच है कि इकबाल को छोड़कर हममें से किसी को भी गोली नहीं लगी।
>
> मोइनुद्दीन (पीडब्लू–5) ने अपने साक्ष्य में निम्नानुसार कहा है:–
>
> यह सच है कि कारतूस के छर्रे इकबाल भाई के अलावा हममें से किसी को नहीं लगे और हमारे स्कूटर पर नहीं लगे।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह ज्ञात होता है कि 540 छर्रे दागे गये, यानी 3 राउंड, यह कैसे संभव है कि किसी भी गवाह या अपीलकर्ता के भाइयों को एक भी गोली नहीं लगी, हालांकि वे 7 फीट के दायरे में थे। अभियोजन पक्ष द्वारा इस पहलू को स्पष्ट नहीं किया गया है।

17. उपरोक्त अदृढ़ता के अलावा कोई स्कूटर घटना स्थल से बरामद नहीं किया गया था। इसी तरह अपीलकर्ता–अभियुक्त की हिरासत से बंदूक की बरामदगी से संबंधित कहानी भी संदिग्ध है। इसका कोई सबूत नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा बन्दूक बिस्तर के नीचे कब और कैसे रखी गई थी तथा अभियुक्त की निशानदेही पर बन्दूक बरामदगी की कहानी प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय और मनगढ़ंत है।

18. यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब घटना की उत्पत्ति और तरीका संदिग्ध हो, तो आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहा है जिनमें अपीलकर्ता द्वारा मृतक पर गोली चलाने का आरोप था, पूरी कहानी अस्वीकार किए जाने योग्य है।

19. उपरोक्त आधारों के आलोक में यद्यपि हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा अपीलकर्ता ने निजी बचाव का अधिकार पाने का तर्क स्वीकार करने में असमर्थ हैं, पूरे अभियोजन मामले को पढ़ने के बाद, अन्य आरोपियों यानी ए–2 और ए–3 का सम्पूर्ण दावा स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय का तर्क के साथ, पूरे अभियोजन मामले को अविश्वसनीय मानते हुए खारिज किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है, तदनुसार, हम उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं।

20. अपील स्वीकार की जाती है। यदि किसी अन्य मामले में वह वांछित नहीं हैं तो अपीलकर्ता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

अपील स्वीकृत

vetted by (Avtar Singh)